न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मयंक मनीष, I.A.S.

पत्रावली संख्या : **177/17 (प्रा0पत्र)**

GCMS No. : 2017/00550

अनवान्

1. श्री नरेन्द्र पिता हेमराज गुर्जर निवासी माण्डुथल तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री हेमराज पिता वगतावर गुर्जर निवासी माण्डुथल तह. मावली।
2. श्रीमती सायरी पुत्री हेमराज पत्नी मांगीलाल गुर्जर निवासी भानसोल छोटी खेडी तह. मावली।
3. श्रीमती मांगीबाई पुत्री हेमराज पत्नी सोहन गुर्जर निवासी वारणी तह. मावली।
4. उप पंजीयक अधिकारी मावली, तह. मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का सिन्दु तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक :– 13.08.2021

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा माण्डुथल पटवार हल्का सिन्दु के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 533, 898, 906, 917, 953 किता 5 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम 1/3 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज है। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 775, 776, 777, 778, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 791, 799, 800 किता 13 रकबा 30 बीघा 4 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम 1/12 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज हैं।
2. यह कि मुझ प्रार्थी व विपक्षीगण सं. 1 से 3 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.09.15 12:18:39 IST
Reason: SelfAttested

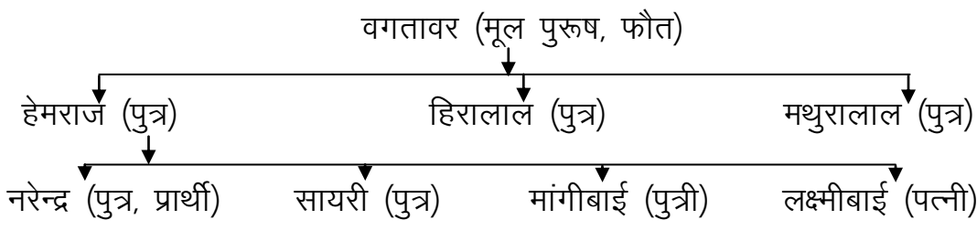

वगतावर (मूल पुरूष, फौत)

हेमराज (पुत्र) हिरालाल (पुत्र) मथुरालाल (पुत्र)

नरेन्द्र (पुत्र, प्रार्थी) सायरी (पुत्र) मांगीबाई (पुत्री) लक्ष्मीबाई (पत्नी)

उक्त सजरे अनुसार हमारे मूल पुरूष वगतावर जी थे जिनके तीन पुत्र हेमराज, हिरालाल, मथुरालाल हुए। हेमराज (विपक्षी सं. 1) के वारिस पुत्र नरेन्द्र (प्रार्थी) एवं पुत्रीयां सायरी, मांगीबाई तथा पत्नी लक्ष्मीबाई हैं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पूर्व में विपक्षी सं. 1 के पिता एवं मुझ प्रार्थी के दादा श्री वगतावर जी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित थी और वगतावर जी के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमि विरासत से उनके पुत्र विपक्षी सं. 1 व अन्य वारिस हिरालाल, मथुरालाल के नाम पर अंकित हुई है जो मुझ प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि हैं।
4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात मुझ प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 की पैतृक सम्पति हैं और जिसमें मुझ प्रार्थी को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुके है और इन भूमियों में अपने पिता विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमियों में अपने हिस्सा भूमि पर मैं प्रार्थी काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं।
5. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर मुझ प्रार्थी का अपने हिस्सेनुसार कब्जा चला आ रहा है व विपक्षी सं. 1 भी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है अर्थात् विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में मैं प्रार्थी व विपक्षी सं. 2, 3 अपने हिस्सा भूमि पर काबिज हो काश्त करते आ रहे है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज है जो भूमाफियाओं के बहकावे में आकर मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से की भूमि से वंचित करने की नियत से अपने नाम अंकित सम्पूर्ण भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द कराने पर आमादा है और मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि से बेदखल करने की भी धमकियां दे रहे है जबकि विपक्षी सं. 1 को उनके नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को विक्रय करने का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में अपनी हिस्सा भूमि खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हूं। इसलिए माननीय न्यायालय आपमें वाद प्रस्तुत कर दिया हैं।
6. यह कि मुझ प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ प्रार्थी [illegible] से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् अधिकार प्राप्त हो [illegible] हक हिस्सेनुसार भूमि पर काबिज हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.09.15 12:18:39 IST
Reason: SelfAttested

काश्त करता आ रहा हूं। किन्तु जमीन वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम पर रेकार्ड में दर्ज है और विपक्षी सं. 1 भूमाफिया उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने के उकसा रहे है और विपक्षी सं. 1 भी भूमाफियाओं के सिखावें व बहकावे में आकर मुझ प्रार्थी को धमकी दे रहे कि जमीन के खरीददार मिल गये है और अब मैं इस जमीन को बेच रहा हूं तुम अपना कब्जा हटा लेना वरना खरीददार लाठी के बल पर जोर जबरदस्ती तुम्हे बेदखल कर देगे। जबकि विपक्षी सं. 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षी सं. 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि विपक्षी सं. 1 मुझ प्रार्थी को अपने हिस्से भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करें, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हाने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।

7. यह कि प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 08.12.2017 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी सं. 1 ने भूमाफियाओं की बहकावट व सिखावट में आकर उक्त जमीन विक्रय कर खुर्द बुर्द करने व मुझ प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
8. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में विपक्षी सं. 1 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि में प्रार्थी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, विपक्षी सं. 1 अपने नाम दर्ज भूमि को रहन बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखे। विपक्षी सं. 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला मूल वाद विपक्षी सं. 4 पंजीयन नहीं करे व विपक्षीयां सं. 5, 6 ताफैसला मूल वाद राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।
9. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.09.15 12:18:39 IST
Reason: SelfAttested

10. हमने प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज है। प्रकरण में प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 2, 3 उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा पैतृक सम्पति बताकर घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। चूंकि प्रकरण में विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग—उपभोग करने का पुरा पुरा अधिकार है, ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्ध टी.आई नही दी जा सकती है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।
2. *सुविधा का संतुलन* — चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार विपक्षी सं. 1 है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुआ हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध में निर्णित किया जाता है।
3. *अपूरणीय क्षति—* चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार विपक्षी सं. 1 है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

12. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपनी पैतृक सम्पति बताकर घोषणा का वाद प्रस्तुत कर उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में विपक्षी सं. 1 प्रार्थी का पिता हैं। प्रार्थी वर्तमान में उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार होकर HUF कर्ता खानदान होने से विपक्षी सं. 1 को अपनी भूमि के उपयोग—उपभोग का पुरा अधिकार है। प्रकरण में खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये गये है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.09.15 12:18:39 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.09.15 12:18:39 IST
Reason: SelfAttested